1

(185)

समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

R - 2685 - III /14

राजीवधर द्विवेदी तनय राममिलन द्विवेदी, निवासी--ग्राम भैदा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती किरण द्विवेदी पत्नी नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी, साकिन–गड़रा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्ता

श्री रमाकान्त पटेल एड के द्वारा आज दिनांक 13-8-14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाड़ी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्र0 17ए (17 A) /12/2012–13 आदेश दिनांक 19/07/2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं–

1– यह कि अनावेदिका द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाड़ी के समक्ष ग्राम रमनगरी स्थिति भूमि नं0–221/3 के अंश रकवा 0.101 हे0 के सीमांकन बावत् आवेदन दिये जाने पर उक्त प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया, जिसमें निगरानकर्ता की भूमि को अनावेदिका द्वारा अपनी भूमि में उक्त सीमांकन से समाहित कर लिया, जैसा कि निगरानी के साथ पेश आदेश एवं सीमांकन फिल्ड बुक की छायाप्रति से भी स्पष्ट हो रहा है,। निगरानीकर्ता को उक्त सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार की सूचना इत्यादि नहीं दी गई, सीमांकन के वक्त निगरानीकर्ता को उपस्थिति की सूचना दिये बिना ही उक्त सीमांकन कार्यवाही की गई

राजीव धर

(185)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2685-III / 14 जिला– रीवा

राजीवधर द्विवेदी / श्रीमती किरण द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
19.12.18–	1. आवेदक की ओर से श्री रमाकांत पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल पहाड़ी, तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 17 / ए–12 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

राजीव धर